# Mरत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257106 CG-DL-E-12092024-257106

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3565]

No. 3565]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2024

का.आ. 3898(अ).—सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य महायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिध्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को 'एक बार पंजीकरण' पोर्टल पर पंजीकरण के समय तथा हां/नहीं अथवा/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए परीक्षा/भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में, अभ्यर्थियों की पहचान के सत्यापन के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण के निष्पादन हेतु अनुमित है।

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों और 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।

[फा. सं. 39020/07/2024-पीपी(बी-I)]

एस. डी. शर्मा, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Personnel and Training)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2024

S.O. 3898(E).—In pursuance of sub clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, having been authorized by the Central Government, hereby notifies that the Staff Selection Commission (SSC) is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for establishing the identity of candidates at the time of their registration on 'One Time Registration' portal and at various stages of examination/recruitment test conducted by the commission, using Yes/No or/and e-KYC authentication facility.

Staff Selection Commission (SSC) shall adhere to all relevant provisions of the Act, the rules and regulations made thereunder, and directions issued by the 'Unique Identification Authority of India'.

[F. No. 39020/07/2024-PP(B/I)]

S. D. SHARMA, Jt. Secy.